9/3/21 दि. 8.3.21 का राजकीय (अवकाश)
वकुलास्थ फरीकैन उपस्थित अधिवक्तागण
ने कार्य स्थगन किया हुआ है। पूर्वादेश
पालना में दि० 15.3.21 को पेश होवे

15/3/21 अपीलार्थी अधिवक्ता हाजिर। जरिये प्रार्थना पत्र
पेशी बढ़ाने हेतु अपील 1485 दिनांक 22.3.21 को
पेश हो।

22/3/21 अपीलार्थी अधिवक्ता हाजिर। अपील अपीलार्थी
स्वीकार की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया
जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली
फैसल शुमार होकर नियम से बाद तकमील
रिकॉर्ड रूम जमा हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 10:40:25 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर (राज.)
पीठासीन अधिकारी - श्री गंगाधर मीना RAS

अपील सं.	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
19/2019	13.12.2019	22.03.21

अनुवाद

[1] मेहर सिंह पुत्र मोतराम जाति अहीर निवासी ग्राम परसोतमपुर तहसील रेवाड़ी जिला रेवाड़ी (हरि.)
- अपीलार्थी

बनाम

[1] ग्राम पंचायत मांगलसालीया तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज.) द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत
- रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध आज्ञा ग्राम पंचायत मांगलसालीया तहसील कोटकासिम बाबत इन्तकाल सं. 482 वाकै ग्राम मिर्जापुर तहसील कोटकासिम

उपस्थित -
[1] श्री नरहरि व्यास अधिवक्ता अपीलार्थी

अपीलार्थी के साथ अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर इस अपील विरुद्ध आज्ञा ग्राम पंचायत मांगलसालीया नामान्तकरण सं. 482 ग्राम मिर्जापुर पर आधार की पेश की जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मेरे अपीलार्थी ने आराजी ख.नं. 280/2-13 बीघा में से 0-08 बीघा, 65/6-06 बीघा में से 0-10 बीघा, 274/3-05 बीघा में से 25/65 हिस्सा वाकै ग्राम मिर्जापुर तहसील कोटकासिम जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 13.12.2012 को पवन कुमार वगैरह से बाजाब्ता खरीद की थी। जिस [illegible] ग्राम परसोतमपुर तहसील व जिला रेवाड़ी (हरि.) [illegible] बैयनामा में श्री अपीलार्थी का सही निवास [illegible] नामान्तकरण सं. 482 दर्ज को स्वीकार करते वक्त गलती से रेढ़ लिख्या गया जो (सरपंच) लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 10:40:25 IST
Reason: SelfAttested

दर्ज हुआ है। बावजूद जानकारी जिस अपीलार्थी को दिनांक 10.12.2019 को हुई तो बिना देरी मालूमात होकर प्रार्थना पत्र रचना 5 के साथ अपील पेश की। अत: अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण सं. 482 ग्राम मिर्जापुर तहसील कोटकासिम ग्राम पंचायत नांगल सालिया दिनांक 5.4.2012 में अपीलार्थी का निवास ख.र. नं. के स्थान पर ग्राम परसोतमपुर तहसील व जिला रेवाड़ी (हरि.) दर्ज किया जावे। इसी अनुसार संशोधन करने की आज्ञा प्रदान की जावे।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेन्ट को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया। रेस्पोंडेन्ट बावजूद सूचना उपस्थित नहीं लिहाजा रेस्पोंडेन्ट की दिनांक 1.3.2021 को अनुपस्थिति दर्ज की गई।

बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी की सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में अंकित तथ्यों को दोहराया और कहा कि उपरोक्त विवादित आराजीयात पवन कुमार वगैरा से प्रतिफल को राशी अदा कर खरीद किया। लेकिन नामान्तरकरण सं. 482 बाबत ग्राम मिर्जापुर तहसील कोटकासिम हल्का पटवारी द्वारा दर्ज करते वक्त व ग्राम पंचायत नांगल सालिया द्वारा स्वीकार करते वक्त बैयनामा को नहीं देखा गया और सहवन से मेरे अपीलार्थी को ख.नं. दर्ज कर दिया गया जबकि बैयनामा में ग्राम परसोतमपुर तहसील व जिला रेवाड़ी (हरि.) दर्ज है। नामान्तरकरण सं. 482 ग्राम मिर्जापुर में ख.नं. सहवन से दर्ज हुआ है जिसे दुरुस्त किया जाना न्यायसंगत है।

विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया पत्रावली का संलग्न दस्तावेजात नामान्तरकरण सं. 482 व रजिस्टर्ड बैयनामा का अवलोकन किया [illegible] 482 के कालम नं 9 में मोहनसिंह पुत्र नेतराम जाति [illegible] ख.नं. रकबा 8/53 हिस्सा दर्ज है। बैयनामा में मोहनसिंह पुत्र [illegible] जाति अहीर निवासी ग्राम परसोतमपुर [illegible] जिला रेवाड़ी (हरि.) अंकित है जो सहवन से दर्ज होना प्रतीत होता है। जिसे दुरुस्त किया

(लगातार)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 10:40:25 IST
Reason: SelfAttested

जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। तहसीलदार कोटकासिम को आदेशित किया जाता है कि मामला/खसरा संख्या 482 ग्राम किशनपुर तहसील कोटकासिम के कालम नं. 7 में स्व. देव के स्थान पर निवासी ग्राम स्यालसपुर तहसील रेवाड़ी जिला रेवाड़ी (हरि.) दर्ज किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

निर्णय आज दिनांक 22.03.21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 10:40:25 IST
Reason: SelfAttested